



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2025 / 589

दर्ज तिथि:-20.08.2025

1. लादूराम पुत्र रामकिशोर
2. जयप्रकाश पुत्र रामकिशोर
3. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर
जाति अग्रवाल निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. नर्मदा नहर परियोजना, नहर विभाग चतुर्थ खण्ड सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:-श्री जगदीश विश्णोई

अप्रार्थीगण:- राज पैरोकार

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136

राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

—:निर्णय:—


निर्णय तिथि:-28.08.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 472 / 215 / 0.5662 है0, 473 / 215 / 0.3695 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
- कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी के मध्य में से होकर खसरा संख्या 471 / 215 / 0.4402 है0 पर गै0मु0 नहर वर्तमान में चलायमान है।
- कि उक्त खसरे मूल खसरा संख्या 215 से विभक्त होकर बने हैं। मूल खसरा संख्या 215 में से नहर निकलने से उक्त आराजी विभक्त होकर गै0मु0 नहर के खसरा संख्या 471 / 215 सृजित कर राजस्व रिकॉर्ड में



6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट-अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-



7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:-

- कि ग्राम आलपुरा के मूल खसरा संख्या 215/2 रकबा 08-10 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 472/215/0.5662 है0 व 473/215/0.3695 है0 व नर्मदा नहर खसरा संख्या 471/215/0.4402 है0 में नर्मदा नहर की तरमीम भूमि अवाप्ति अनुसार सही अंकित की गई है।
- कि मूल खसरा संख्या 215/2 वर्तमान खसरा संख्या 472/215, 473/215 एवं नर्मदा नहर खसरा संख्या 471/215 की तरमीम भूमि अवाप्ति अनुसार सही की गई एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं मौके पर नर्मदा नहर चलायमान के विपरीत अंकित की गई है।
- कि आराजी खसरा संख्या 473/215 व 471/215 (कुछ भाग) में से होकर नहर मौके पर चलायमान है। अर्थात्त नहर का कुछ या आंशिक भाग खसरा संख्या 473/215 व आंशिक भाग 471/215 में से होकर चलायमान है।

- कि मूल खसरा संख्या 215/2 वर्तमान खसरा संख्या 472/215, 473/215 एवं नर्मदा नहर खसरा संख्या 471/215 की तरमीम प्रार्थीगण के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। साथ तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 472/215/0.5662 है0, 473/215/0.3695 है0 मौजा आलपुरा में से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 471/215/0.4402 है0 गै0मु0 नहर वर्तमान में चलायमान है तथा नर्मदा नहर हेतु भूमि अवाप्त होने से पृथक खसरे सृजित हुए हैं। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु मौके के मुताबिक नहर की तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु मौके के अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। प्रकरण में प्रस्तावित तरमीम से नहर की अवाप्तिशुदा भूमि के स्वामित्व व रकबा तथा भूमि उपयोग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रकरण में प्रस्तावित तरमीम के द्वारा मौके पर नहर के प्रचलन के अनुसार ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी के मध्य मौके पर चालू नहर के वास्तविक स्थिति के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में नहर तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी का अंकन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी की खातेदारी आराजी के बाहरी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होने से पड़ोसी खातेदारों की खातेदारी आराजी के रकबे तथा नक्शे में तरमीम तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबे तथा नक्शे में तरमीम में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं होने से पड़ोसी खातेदारों को भी कोई नकारात्मक प्रभाव अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1408 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावे।
यह आदेश आज दिनांक 28.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं
अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर

